



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15012021-224465
CG-DL-E-15012021-224465

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22]
No. 22]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 2021/पौष 25, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 2021/PAUSHA 25, 1942

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 24(अ).— संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेश मंत्रालय, उप सचिव (हिंदी), द्वितीय सचिव (हिंदी एवं संस्कृति), अताशे (हिंदी एवं संस्कृति) और वरिष्ठ हिंदी अनुवादक पद भर्ती नियम, 1991 का उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने के लिए लोप किया गया है, राष्ट्रपति एतद्द्वारा विदेश मंत्रालय के उप सचिव (हिंदी), द्वितीय सचिव (हिंदी एवं संस्कृति), अताशे (हिंदी एवं संस्कृति) और वरिष्ठ हिंदी अनुवादक पदों की भर्ती के तरीकों को विनियमित करने के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

- इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेश मंत्रालय, उप सचिव (हिंदी), द्वितीय सचिव (हिंदी एवं संस्कृति), अताशे (हिंदी एवं संस्कृति) और वरिष्ठ हिंदी अनुवादक पद भर्ती नियम, 2020 है।
- ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि – उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. अनर्हता: कोई व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार इस तथ्य से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के मामले में लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों में उल्लिखित कोई बात, आरक्षण, आयु सीमा में छूट और ऐसी अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष कोटि के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. उप सचिव (हिंदी)	1*(2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 12 (रूपये 78800-209200)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
--	--------------------------------	---	--

8	9	10	11
लागू नहीं होता	दो वर्ष (पुनर्नियोजित भूतपूर्व सैनिकों के लिए)	प्रतिनियुक्ति : सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए)	प्रतिनियुक्ति : केन्द्र सरकार के अधिकारी जो- क. (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर धारित सदृश पद पर हों; या (ii) वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 (रूपये 67700-208700) वाले या समकक्ष पदों पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और ख. निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों :- अनिवार्य: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी सहित हिंदी में मास्टर डिग्री या समकक्ष; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में हिंदी सहित अंग्रेजी में मास्टर डिग्री अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में हिंदी और अंग्रेजी सहित किसी भी विषय में मास्टर डिग्री (ii) हिंदी में शब्दावली संबंधी कार्य में अथवा वरीयतः तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य में अंग्रेजी से हिंदी या विलोमतः अनुवाद कार्य में दस वर्ष का अनुभव; या हिंदी में शिक्षण, अनुसंधान, लेखन या पत्रकारिता में दस वर्ष का अनुभव। वांछनीय: (i) संगत विषय में डॉक्टरेट डिग्री। (ii) किसी हिंदी समाचार पत्र संगठन या समाचार एजेंसी या सांस्कृतिक संगठन में कार्य करने का अनुभव; (iii) स्नातक स्तर पर हिंदी के अतिरिक्त एक या अधिक भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया हो; (iv) स्थापना मामलों संबंधी कार्य करने का अनुभव। (v) स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में संस्कृत का अध्ययन किया हो। सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए:

				प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) सशस्त्र बल कार्मिक जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित होने वाले हैं और जो निर्धारित अपेक्षित अनुभव और अर्हताएं रखते हों, उनके नाम पर भी विचार किया जाएगा और ऐसे व्यक्तियों को उनके सशस्त्र बलों से कार्यमुक्त होने तक की तारीख तक प्रतिनियुक्ति अवधि प्रदान की जाएगी: उसके पश्चात वे पुनर्नियोजन आधार पर बने रहेंगे। टिप्पणी 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
--	--	--	--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12	13
विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) की संरचना :- 1. संयुक्त सचिव (प्रभारी, प्रशासन) – अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (प्रभारी, हिन्दी प्रभाग) – सदस्य 3. उप सचिव/ निदेशक (प्रभारी, प्रशासन) – सदस्य	पुनर्नियोजन/प्रतिनियुक्ति आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
2. द्वितीय सचिव (हिंदी एवं संस्कृति)	3*(2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 11 (रूपये 67700-208700)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी	परिवीक्षा की	भर्ती की पद्धति : भर्ती	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां
------	--------------	-------------------------	--

	भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं।	अवधि, यदि कोई हो।	सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
	8	9	10	11
	लागू नहीं होता	दो वर्ष (पुनर्नियोजित भूतपूर्व सैनिकों के लिए)	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधि संविदा सहित) सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए)	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) : केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के अधिकारी : (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद पर हों; या (ii) वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (रूपये 56100-177500) वाले या समकक्ष पदों पर 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों :- अनिवार्य: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी सहित हिंदी में मास्टर डिग्री; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी सहित अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी माध्यम के साथ हिन्दी या अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम के साथ हिन्दी या अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी

को छोड़कर किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और स्नातक स्तर पर अंग्रेजी और हिंदी एक अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में या दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरी एक अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में हों;

- (ii) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं में हिन्दी में शब्दावली (शब्दावली संबंधी कार्य) प्रयोग करने/लागू करने और अंग्रेजी से हिन्दी या विलोमतः, विशेषतः तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य में अनुवाद कार्य का पांच वर्ष का अनुभव;

या

केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं में हिन्दी और अंग्रेजी में शिक्षण या हिन्दी या अंग्रेजी में अनुसंधान में पांच वर्ष का अनुभव;

वांछनीय:

- (i) प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति/ दर्शनशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री
- (ii) स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में संस्कृत का अध्ययन किया हो।
- (iii) भारत की सांस्कृतिक विरासत / देश में विविध प्रकार की साहित्यिक और सांस्कृतिक विधाओं से संबंधित प्रकाशित कार्य।

सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए:

प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए)

सशस्त्र बल कार्मिक जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित होने वाले हैं और जो निर्धारित अपेक्षित अनुभव और अर्हताएं रखते हों, उनके नाम पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उनके सशस्त्र बलों से कार्यमुक्त होने तक की तारीख तक प्रतिनियुक्ति अवधि प्रदान की जाएगी: उसके पश्चात वे पुनर्नियोजन आधार पर बने रहेंगे।

टिप्पणी 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर

				बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं हानी चाहिए। टिप्पणी 2: इस पद के लिए प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
--	--	--	--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12	13
विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) की संरचना :- 1. संयुक्त सचिव (प्रभारी, प्रशासन) – अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (प्रभारी, हिन्दी प्रभाग) – सदस्य 3. उप सचिव/ निदेशक (प्रभारी, प्रशासन) – सदस्य	प्रत्येक अवसर पर पदों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
3. अताशे (हिंदी एवं संस्कृति)	3*(2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 8 (रूपये 47600-151100)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।
8	9	10	11
लागू नहीं	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) :

	होता (अधिवर्षिता की आयु से पहले पुनर्नियोजित भूतपूर्व सैनिकों के लिए)	(अल्पावधि संविदा सहित) सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए)	केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी : (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर हों; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 (रूपये 44900-142400) या समकक्ष पर दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों :- अनिवार्य: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी सहित हिंदी में मास्टर डिग्री या समकक्ष; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी सहित अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समकक्ष; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी माध्यम के साथ हिन्दी या अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम के साथ हिन्दी या अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और स्नातक स्तर पर अंग्रेजी और हिंदी एक अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में या दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरी एक अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में हों; (ii) भारत सरकार के उपक्रमों सहित केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के कार्यालयों में हिन्दी में शब्दावली संबंधी कार्य या अंग्रेजी से हिन्दी या विलोमतः, विशेषतः तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य में अनुवाद कार्य का चार वर्ष का अनुभव; अथवा मान्यताप्राप्त संस्थान से हिन्दी में शिक्षण, अनुसंधान,
--	---	---	---

				लेखन या पत्रकारिता में चार वर्ष का अनुभव; वांछनीय: (i) प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति/ दर्शनशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री (ii) स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में संस्कृत का अध्ययन किया हो। (iii) स्नातक स्तर पर हिन्दी के अतिरिक्त एक या अधिक भारतीय भाषाएं पढ़ी हों। सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) सशस्त्र बल कार्मिक जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित होने वाले हैं और जो निर्धारित अपेक्षित अनुभव और अर्हताएं रखते हों, उनके नाम पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उनके सशस्त्र बलों से कार्यमुक्त होने तक की तारीख तक प्रतिनियुक्ति अवधि प्रदान की जाएगी, उसके पश्चात वे पुनर्नियोजन आधार पर बने रहेंगे। टिप्पणी 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। टिप्पणी 2: इस पद के लिए प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
--	--	--	--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12	13
विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) की संरचना :- 1. संयुक्त सचिव (प्रभारी, प्रशासन) – अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (प्रभारी, हिन्दी प्रभाग) – सदस्य 3. उप सचिव/ निदेशक (प्रभारी, प्रशासन) – सदस्य	प्रत्येक अवसर पर पदों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन अथवा गैर-चयन	सीधी भर्ती के लिए	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
-----------	----------------	----------	--------------------	------------------	-------------------	---

			लेवल	पद	आयु-सीमा	
1	2	3	4	5	6	7
4. वरिष्ठ हिंदी अनुवादक	1*(2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 7 (रूपये 44900-142400)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन किया जाएगा।
	8	9	10	11
	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति : केन्द्र सरकार के अधिकारी : (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर हों; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-6 (रूपये 35400-112400) या समकक्ष में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों :- अनिवार्य: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी सहित हिंदी में मास्टर डिग्री; अथवा

				किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी सहित अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी माध्यम के साथ हिन्दी या अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम के साथ हिन्दी या अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और स्नातक स्तर पर अंग्रेजी और हिन्दी एक अनिवार्य/ वैकल्पिक विषय के रूप में या दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरी एक अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में हों;
			और	(ii) मान्यताप्राप्त संस्थान से हिन्दी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिन्दी में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या भारत सरकार के उपक्रमों सहित केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के कार्यालयों में हिन्दी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव; टिप्पणी 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। टिप्पणी 2: इस पद के लिए प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12	13
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[सं. क्यू/सीएडी/798/01/2018]

जी बालासुब्रमण्यन, संयुक्त सचिव (प्रशासन)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

Notification

New Delhi, the 11th December, 2020

G.S.R. 24(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of External Affairs, Deputy Secretary (Hindi), Second Secretary (Hindi and Culture), Attache (Hindi and Culture) and Senior Hindi Translator posts Recruitment Rules, 1991, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the posts of Deputy Secretary (Hindi), Second Secretary (Hindi and Culture), Attache (Hindi and Culture) and Senior Hindi Translator in the Ministry of External Affairs, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of External Affairs, Deputy Secretary (Hindi), Second Secretary (Hindi and Culture), Attache (Hindi and Culture) and Senior Hindi Translator Posts Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, and level in the pay matrix.- The number of posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to the said person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-servicemen and other specified categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

Schedule

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Deputy Secretary (Hindi)	1* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level-12 in the pay matrix Rs.78800 – 209200.	Not applicable.	Not applicable.

Educational	and	other	Whether	age	and	Period	of	Method of recruitment,
-------------	-----	-------	---------	-----	-----	--------	----	------------------------

qualifications required for direct recruits.	educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	probation, if any.	whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years (for ex-serviceman on re-employment).	By deputation. For Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment (for ex-serviceman).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers under the Central Government:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in posts in the level-11 in the pay matrix Rs. 67700-208700 or equivalent; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely :- Essential: (i) Masters degree from a recognised university in Hindi with English as a subject at degree level; or Masters degree from a recognised university in English with Hindi as a subject at degree level; or Masters degree from a recognised university in any subject with Hindi and English as subjects at degree level. (ii) Ten years experience of terminological work in Hindi or translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature; or ten years experience of teaching, research, writing or journalism in Hindi. Desirable: (i) Doctorate degree in the relevant subject; (ii) experience of working in Hindi newspaper organisation or news agency or cultural organisation;	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Joint Secretary (in charge of Administration) - Chairman 2. Joint Secretary (in charge of Hindi Division) – Member 3. Deputy Secretary/Director (in Administration)- Member	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making appointment on re-employment/ deputation basis.

(iii) should have studied one or more Indian languages other than Hindi at graduation level; (iv) experience in dealing with establishment matters; (v) studied Sanskrit as one of the subjects at graduation level. For Armed Forces Personnel: Deputation/Re-employment (For ex-serviceman): The Armed Forces Personnel who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite qualifications and experience prescribed for deputationists shall also be considered and such officers shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the armed forces, thereafter, they may be continued on re-employment. Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Second Secretary (Hindi and Culture).	3* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 in the pay matrix Rs.67700 – 208700.	Not-applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years (for ex-serviceman on re-employment).	By deputation(including short term contract). For Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment (for ex-serviceman).

(11)	(12)	(13)
Deputation(including short term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or university or recognised research institution: (a) (i)holding analogous posts on regular basis; or (ii)with five years regular service in posts in the level 10 in the pay matrix Rs. 56100–177500 or equivalent; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely :-	Departmental Confirmation Committee(for considering confirmation) consisting of: 1. Joint Secretary (in charge of Administration) - Chairman 2. Joint Secretary (in charge of Hindi Division) – Member 3. Deputy Secretary/Director (in Administration)- Member	Consultation with the Union Public Service Commission necessary on each occasion.

Essential: (i) Masters degree from a recognised university in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Masters degree from a recognised university in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree from a recognised university in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree from a recognised university in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level; or Master's degree from a recognised university in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level. (ii) Five years experience of using/applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or university or recognised research institutions: or five years experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or university or recognised research institutions. Desirable: (i) Post graduate degree in Ancient Indian History and Culture/Philosophy. (ii) studied Sanskrit as one of the subjects at graduation level. (iii) published work relating to India's cultural heritage or different forms of literary and cultural expressions in the country. For Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment (for ex-servicemen): The Armed Forces Personnel who are due to		
---	--	--

retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite qualification and experience prescribed for deputationists shall also be considered and such officers shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the armed forces, thereafter, they may be continued on re-employment. Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on closing date of receipt of applications considered for the post.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Attache (Hindi and Culture).	3* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B', Gazetted Non-Ministerial.	Level-8 in the pay matrix Rs. 47600 – 151100.	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years (For ex-serviceman on re-employment before the age of superannuation).	By deputation(including short term contract). For Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment (for ex-servicemen).

(11)	(12)	(13)
Deputation(including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or university or recognised research institutions: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years regular service in posts in the level-7 in the pay matrix Rs. 44900 – 142400 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely :- Essential:	Departmental Confirmation Committee(for consideration confirmation) consisting of:- 1. Joint Secretary (in charge of Administration) - Chairman 2. Joint Secretary (in charge of Hindi Division) – Member 3. Deputy Secretary/ Director (in Administration)- Member	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for filling up the post on each occasion.

(i) Masters degree from a recognised university in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at degree level;

or

Masters degree from a recognised university in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at degree level;

or

Masters degree from a recognised university in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level.

or

Masters degree from a recognised university in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level.

or

Masters degree from a recognised university in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as compulsory or elective subject at the degree level; and

(ii) four years experience of terminological work in Hindi or translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific

literature in Central Government or State Government Offices including Government of India undertakings.

or

four years experience in teaching, research, writing or journalism in Hindi from a recognised institution.

Desirable:

(i) Post graduate degree in Indian History and Culture/Philosophy

(ii) studied Sanskrit as one of the subjects at graduation level.

(iii) should have studied one or more Indian Languages other than Hindi at graduation level.

For Armed Forces Personnel :

Deputation/Re-employment (for ex-servicemen).

The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite qualification and

experience prescribed for deputationists shall also be considered. Such officers will be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the armed forces, thereafter, they may be continued on re-employment.

Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on

closing date of receipt of applications considered for the post.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Senior Hindi Translator	1*(2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted Ministerial.	Level 7 in the pay matrix Rs.44900 – 142400.	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation.

(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers of the Central Government: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in posts in the level 6 in the pay matrix Rs. 35400 – 112400 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- Essential: (i) Masters degree from a recognised university in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at degree level; or Masters degree from a recognised university in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at degree level; or Masters degree from a recognised university in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level. or Masters degree from a recognised university in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level. or Masters degree from a recognised university in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as compulsory or elective subject at the degree level. and (ii) Diploma or certificate course in translation from Hindi	Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

to English from a recognised institution and vice-versa or three years experience in translation work from Hindi to English and vice-versa in Central Government or State Government Offices including Government of India undertakings.

Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years of age as on the closing date of receipt of applications.

[No. Q/CAD/798/01/2018]

G BALASUBRAMANIAN, Jt. Secy. (Administration)